

उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

फर्द अहकाम

9/12/25 पत्रावली पेश हुई। महुल्लम फरीद
 उपर वकील वादीगण ने अग्रज करार
 कि पत्रावली के मध्य राजीनामा हो गया है
 मुकदमा को चलाना नहीं चाहते हैं Not
 प्रेस में खारिज करार का निवेदन किया
 मर: मुठन: 157/2015 इनवानी

पत्रावली 75
 पत्रावली 20

निरंजन वनाम ऊँकार वज्र दावा वाक्य
 तका-मा एवं स्वाधी निषेधाज्ञा को
 Not प्रेस में खारिज किया जाता है
 पत्रावली फं सल मुमा एकर बाद
 तकील नम्बर से फम ही अकर
 दाखिल इफल हो।
 कोदेश खुले न्यायालय में

मुनापा गया

उपखण्ड अधिकारी
 हिण्डौन सिटी (कौली)